दिनांक 15.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 32/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

- **आजमगढ़ साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता — टेलीग्राम के माध्यम से चीनी हैंडलरों के लिए कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी सिंडिकेट का भंडाफोड़।**
- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार — अभियुक्तों के कब्जे से ₹6.32 लाख नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, विदेशी सिम कार्ड, चेकबुक, कैश काउंटिंग मशीन एवं स्कॉर्पियो वाहन बरामद।**
- **पूर्व में 04 शातिर अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार**

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** की प्राथमिकताओं के अनुरूप साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु पुलिस बल की तकनीकी दक्षता को निरंतर सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से समय-समय पर आयोजित की जा रही कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणामस्वरूप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में आजमगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 14.01.2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक साइबर ठगी गिरोह का सफल अनावरण किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, विदेशी सिम कार्ड, बैंक से संबंधित दस्तावेज, मोहर तथा एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया है।

घटना का विवरण-

➡दिनांक 18.09.2025 को वादी भूपेन्द्रनाथ यादव पुत्र स्व. भूल्लन प्रसाद यादव निवासी ग्राम गांगेपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना साइबर क्राइम पर लिखित तहरीर दी गई कि उनके पुत्र आर्यन यादव के मोबाइल नम्बर को एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया, जहाँ बताया गया कि वे “WOOCOMMERCE” नामक कम्पनी के लिए कार्य करते हैं। उक्त कम्पनी की वेबसाइट “WOOAUTOMATTIC.COM” पर प्रोडक्ट की सेल व मार्केट वैल्यू बढ़ाने हेतु प्रोडक्ट को “बूस्ट” करने के नाम पर कार्य कराया जाता है। अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र को अधिक लाभ का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों में कुल ₹12,64,249/- (बारह लाख चौंसठ हजार दो सौ उन्चास रुपये) जमा कराकर ठगी कर ली गई।

➡इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़ पर मु0अ0सं0- 28/25 धारा 318(4), 319(2), 317 BNS व 66C, 66D IT Act पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

➡दिनांक- 27.10.2025 को थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित विवेचना व साइबर ठगी के मुकदमें का सफल अनावरण करते हुए संलिप्त गिरोह के अन्तर्राज्यीय 04 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके क्रम में-

➡दिनांक- 14.01.2026 को थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित विवेचना व साइबर ठगी के मुकदमें का सफल अनावरण करते हुए संलिप्त गिरोह के **अन्तर्राष्ट्रीय 02 शातिर साइबर अपराधियों को गोडम्बा (लखनऊ) से समय करीब 22.15 बजे पुलिस हिरासत** में लिया गया।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)

➡गिरफ्तार अभियुक्त टेलीग्राम आईडी LEE COOPER, SIMBA (A WATSON) व Nobita के माध्यम से चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर कार्य कर रहे थे।

➡ठगी की धनराशि भारतीय बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी

➡ATM व चेक के माध्यम से नकद निकासी की जाती थी

➡निकाली गई राशि को USDT (क्रिप्टो करेंसी) में परिवर्तित कर चीनी हैंडलरों को भेजा जाता था

➡ अभियुक्त अभिषेक गुप्ता द्वारा अब तक लगभग कुल 10–15 करोड़ रुपये की धनराशि को USDT (क्रिप्टो करेंसी) में परिवर्तित कर चीनी हैंडलरों को भेजा जा चुका है।

➡खाताधारकों को कमीशन देकर उनके खातों का दुरुपयोग किया जाता था

➡अभियुक्तों को प्रतिशत के आधार पर कमीशन प्राप्त होता था

➡यह एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क है।

➡ अपनी पहचान छिपाने के लिए अभियुक्त वर्चुअल नंबर, फर्जी सिम टेलीग्राम ग्रुप का प्रयोग करते थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1-मु.अ.सं. – 28/2025 धारा – 111(4), 317(2), 318(4), 319(2) BNS 66C, 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. अभिषेक गुप्ता पुत्र अरुण गुप्ता, निवासी – 2/750 जानकीपुरम, सेक्टर-एच, लखनऊ, (गिरोह का मुख्य संचालक, चीनी साइबर अपराधियों का संपर्ककर्ता)
2. शाश्वत अवस्थी पुत्र दीप राज अवस्थी, निवासी – संजय गांधी पुरम, फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ

बरामदगी का विवरण

- ☐ ₹ 6,32,320/- नकद
- ☐ 11 अदद मोबाइल फोन
- ☐ 12 अदद ATM कार्ड (विभिन्न बैंकों के)
- ☐ 09 अदद चेकबुक
- ☐ 02 अदद पासबुक
- ☐ 01 आधार कार्ड
- ☐ 01 कैश काउंटिंग मशीन
- ☐ 01 स्कॉर्पियो वाहन (UP32 QC 8600)
- ☐ 01 विदेशी सिम कार्ड (नेपाल देश से जारी सिम)
- ☐ 01 अदद मोहर

साइबर अपराध से संबंधित डिजिटल साक्ष्य (टेलीग्राम ग्रुप, चैट, डेटा)

पुलिस की कार्यवाही

तकनीकी विश्लेषण, IP एड्रेस ट्रैकिंग, डिजिटल साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर लेखराज मार्केट व जानकीपुरम क्षेत्र में दबिश देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामद समस्त सामग्री को विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत सील कर कब्जे में लिया गया है। वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया है।

जनसामान्य से अपील

आजमगढ़ पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात लिंक, APK फाइल, टेलीग्राम/व्हाट्सएप पर प्राप्त लालचपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें। साइबर अपराध की सूचना तत्काल 1930 या नजदीकी थाना / साइबर क्राइम थाना को दें। आम जनता से अपील है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता कमीशन के लालच में इस्तेमाल न करने दें।

दिनांक 15.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 33/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना गोवर्धन

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 14.01.2026 को थाना गोवर्धन व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गाठोली जमुनाबता बाईपास पर डींग से मथुरा की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 साद उर्फ काला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोवर्धन पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 साद उर्फ काला निवासी ग्राम देवसेरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 15.01.2026 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त समीर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बागपत के विभिन्न थानों पर चोरी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—समीर निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

जनपद बागपत/थाना छपरौली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 14.01.2026 को थाना छपरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इमरान घायल को गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छपरौली पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इमरान निवासी ग्राम मवीकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत हालपता—जाटल रोड 08 मारला चौक थाना सदर जनपद पानीपत, हरियाणा।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस ।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना नॉलेज पार्क

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 02 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 14.01.2026 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एक्सपोमार्ट के पास से 03 अभियुक्तों 1–रिंकू 2–संजीव 3–अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 02 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नॉलेज पार्क पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू निवासी लहरा मऊवन थाना कोतवाली मैनपुरी जिला मैनपुरी, हालपता राधारानी पीजी गली नं0 08 मामूरा थाना फेस–03 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–संजीव निवासी लालपुल चौराहा चौथी सराय थाना कचहरी जिला बदांयू हालपता विहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3–अभिषेक कुमार निवासी सफापुर थाना नयागांव जिला बेगूसराय (बिहार) हालपता वसई सेक्टर 70 थाना फेस–03 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 02 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 कार।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 21 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 15.01.2026 को थाना अनूपशहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बच्चीखेड़ा के पास से 02 अभियुक्तों 1–अजय 2–नदीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 21 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अजय के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद एवं दिल्ली व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 20 अभियोग एवं अभियुक्त नदीम के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर एवं दिल्ली व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–नदीम निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 21 मोटर साइकिल आदि।

———————